पत्र संख्या–11/आ.2–आ.नी.–05/2010 सा.प्र. 9681
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

प्रदीप कुमार
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना

पटना–15, दिनांक–21.06.13

विषय :– **क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन।**

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र के संबंध में विभागीय परिपत्र संख्या–673, दिनांक–08.03.2011 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उसी क्रम में विभागीय परिपत्र संख्या–11490 दिनांक–16.08.12 द्वारा भी संशोधित आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 की कंडिका–(8) में **प्रावधान है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र बार–बार निर्गत नहीं किए जायेंगे। पूर्व निर्गत प्रमाण–पत्र की स्थिति में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी स्वयं शपथ–पत्र फार्म–xviii में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा।** बावजूद इसके बार–बार नया प्रमाण–पत्र मॉगे जा रहे हैं अर्थात् उसका अनुपालन नहीं होने की शिकायत प्राप्त हो रही हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रावधानों के साथ–साथ विभागीय परिपत्र संख्या 673 दिनांक–08.03.2011 एवं 11490 दिनांक–16.08.2012 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके।

विश्वासभाजन
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी